

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 1982/श्रावण 4, 1904
No. 226] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 1982/SRAVANA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(अग्रियक कर प्रभाग)

अभिज्ञाना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1982

सं. 186/82-सीमा-शुल्क

सा. का. वि. सं. 509(अ) —केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अभिनियम,
1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

497 GI/82

(1)

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 117/78-सीमा-शुल्क [सा. का नि. 318 (अ)] तारीख 9 जून, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 21 के सामन, "सोडियम लायिल सल्फेट" शब्द के पश्चात् "सोडियम लायिल ईथर सल्फेट" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 602/2/82-डी. वी. के.]

ज. एस. आर. खाथिंग, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1982

No. 186/82-CUSTOMS

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117/78-Customs [GSR-318(E)], dated the 9th June, 1978, namely :—

In the First Schedule to the said notification, against Serial No. 21, in column 2, after the words "containing solvents", the words "sodium lauryl sulphate; sodium lauryl ether sulphate" shall be substituted.

[F. No. 602/2/82-DBK]

J. S. R. KHATHING, Under Secy,